

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटड़ा जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी:- गोपाल लाला मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:- 18/2010

तारीख दायरा-25.06.2010

तारीख निर्णय-05.07.2016

1. श्री केशरा पिता हकमा गमेती निवासी झेड तहसील कोटड़ा।
2. श्री हंसराज पिता हकमा गमेती निवासी झेड तहसील कोटड़ा।
3. श्री नेतिया पिता हकमा गमेती निवासी झेड तहसील कोटड़ा।
4. श्री मसरू पिता हकमा गमेती निवासी झेड तहसील कोटड़ा।
5. श्री सतीया पिता जोरा गमेती निवासी झेड तहसील कोटड़ा।
6. श्री नारायण पिता पन्ना गमेती निवासी झेड तहसील कोटड़ा।

.....वादीगण

### बनाम

1. श्री कपुरा पिता खाना गमेती निवासी बाखेल तहसील कोटड़ा।
2. श्री मोहन पिता वीरमा गमेती निवासी बाखेल तहसील कोटड़ा।
3. श्री रेशा पिता वीरमा गमेती निवासी बाखेल तहसील कोटड़ा।
4. श्री धन्ना पिता वीरमा गमेती निवासी बाखेल तहसील कोटड़ा।
5. श्री रेवा पिता वीरमा गमेती निवासी बाखेल तहसील कोटड़ा।
6. श्री फागणा पिता मकना गमेती निवासी झेड तहसील कोटड़ा।
7. श्री सोयबा पिता मकना गमेती निवासी झेड तहसील कोटड़ा।
8. श्री मोरिया पिता मकना गमेती निवासी झेड तहसील कोटड़ा।
9. श्री कांतिलाल पिता शंकर गमेती निवासी झेड तहसील कोटड़ा।
10. श्री भंवरलाल पिता शंकर गमेती निवासी झेड तहसील कोटड़ा।
11. श्री कसना पिता टिकमा गमेती निवासी झेड तहसील कोटड़ा।
12. श्री कन्ना पिता जालमा गमेती निवासी झेड तहसील कोटड़ा।
13. श्री हंसना पिता जालमा गमेती निवासी झेड तहसील कोटड़ा।

14. श्री ईदा पिता जालमा गमेती निवासी झेड तहसील कोटड़ा।
15. सचिव, जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लि. उदयपुर।
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कोटड़ा।

.....प्रतिवादीगण

### वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 54 ए आर.टी. एक्ट

उपस्थित— वादी की ओर से— श्री प्रवीण कुमार मेहता  
प्रतिवादी की ओर से— एक तरफा

### निर्णय

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि मौजा बाखेल एवं झेड में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की मौरूसी सम्पत्ति स्थित है, जिसका वर्णन वादपत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट "क" एवं "ख" में कर रखा है, जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण का संयुक्त कब्जा चला आ रहा है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक परिवार के सदस्य होकर इनके कर्ता खानदान रामाजी थे। रामाजी का देहान्त सेटलमेन्ट की पेमाईश से पूर्व ही हो गया था। रामाजी के दो पुत्र हरचन्दा व वाला हुए उनका देहान्त भी सेटलमेन्ट से पूर्व ही हो गया था। मृतक हरचन्दा के दो पुत्र हुए खाना व पूजा, जो फोत हो चुके हैं तथा मृतक वाला के दो पुत्र हकमा व टीकमा हुए, वो भी फोत हो चुके हैं। वादीगण हकमा एवं पूजा के वारिसान हैं एवं प्रतिवादीगण खाना एवं टिकमा के वारिसान हैं। राज्य सरकार के अस्तित्व में आने के बाद कोटड़ा में प्रथम पेमाईश संवत् 2012 में हुई, जो अभी चली आ रही है। तत्समय विवादित आरपी प्रतिवादी संख्या 1 से 14 के नाम पर दर्ज कर दी गई, जबकि वादीगण का भी भूमि में 1/2 हिस्सा निहित होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजियात के 1/2 हिस्से का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन मय नकल वाद पत्र के तलब किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 से 15 बावजुद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाये जाने के आदेश दिये गये। प्रतिवादी संख्या 16 राजस्थान सरकार द्वारा कोई जवाब पेश नहीं करने से उनका जवाब बन्द किया गया एवं वादी की एक तरफा बहस सुनी गई एवं

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजियात के 1/2 हिस्से का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादग्रस्त आराजियात का वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 14 मध्य हिस्सेनुसार विभाजन मौके के कब्जे को ध्यान में रखते हुए अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के सिद्धान के आधार पर राजस्थान काश्तकारी राजस्व मण्डल नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुशरण में विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार कोटड़ा को कमिश्नर नियुक्त किया गया। प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार ने बंटवाड़ा योजना उभय पक्ष की उपस्थिति में तैयार कर रिपोर्ट प्रस्तुत की। बंटवाड़ा रिपोर्ट पर वादी को सुना जाकर अवलोकन किया गया।

वाद वर्णित भूमि का पक्षकारों के मध्य बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर किया गया है। विभाजन योजना प्रस्ताव पर वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी ने जाहिर किया कि बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर किया गया है एवं जमीन भी पक्षकारान को लगभग-लगभग बराबर-बराबर दी गई है, जिससे पक्षकारान सहमत है एवं किसी पक्षकार को कोई आपत्ती नहीं है। इसलिये विभाजन योजना प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर फाईनल डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है एवं मौजा बाखेल की आराजी नम्बर 27 रकबा 0-10, 32 रकबा 0-13, 35 रकबा 1-01, 36 रकबा 0-09, 39 रकबा 0-05, 41 रकबा 0-11, 44 रकबा 0-14, 50 रकबा 0-10 किता 08 कुल रकबा 4-13 बीघा भूमि का केशरा, हंसराज, नाथिया, मसरू पिता हकमा गमेती निवासी झेड को, आराजी नम्बर 46 रकबा 0-16, 33 रकबा 0-13, 34 रकबा 0-17 किता 03 कुल रकबा 2-06 बीघा भूमि का सतिया पिता जोरा गमेती निवासी झेड को, आराजी नम्बर 51 रकबा 1-03, 52 रकबा 0-18, 54 रकबा 0-05 किता 03 कुल रकबा 2-06 बीघा भूमि का नाणाराम पिता पन्ना गमेती को, आराजी नम्बर 43 रकबा 0-10, 45 रकबा 0-19, 49 रकबा 0-17 किता 03 कुल रकबा 2-06 बीघा भूमि का कसना पिता टिकमा गमेती को, आराजी नम्बर 42 रकबा 0-19, 53 रकबा 1-07 किता 02 कुल रकबा 2-06 बीघा भूमि का कन्ना, हंसा, ईदा पिता जालमा गमेती निवासी झेड को, आराजी नम्बर 47 रकबा 0-12, 31 रकबा 0-07, 48 रकबा 0-12 किता 03 कुल रकबा 1-11 बीघा भूमि का मोहन, रेशा, धन्ना, रेवा पिता वीरमा गमेती निवासी बाखेल को, आराजी नम्बर 30 रकबा 1-11 बीघा भूमि का कपुरा पिता खाना गमेती निवासी बाखेल को, आराजी नम्बर 29 रकबा 0-08 बीघा भूमि का फागणा पिता मकना गमेती निवासी झेड को, आराजी नम्बर 29/1 रकबा 0-08

बीघा भूमि का सोयबा पिता मकना गमेती को, आराजी नम्बर 37 रकबा 0-08 बीघा भूमि का मोरिया पिता मकना गमेती को, आराजी नम्बर 38 रकबा 0-08 बीघा भूमि का कान्तिलाल, भंवरलाल पिता शंकरलाल गमेती निवासी झेड को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी प्रकार मौजा झेड की आराजी नम्बर 826 रकबा 0-18, 1112, रकबा 0-05, 1113 रकबा 2-05, 1119 रकबा 0-03, 1120 रकबा 0-03, 1121 रकबा 0-08, 1123 रकबा 0-03 किता 7 कुल रकबा 4-05 बीघा भूमि का केशरा, हंसराज, नेतिया, मसरू पिता हकमा गमेती को, आराजी नम्बर 122 रकबा 0-15, 125 रकबा 1-07 किता 02 कुल रकबा 2-02 बीघा भूमि का सतिया पिता जोरा गमेती को, आराजी नम्बर 121 रकबा 1-03, 1125 रकबा 0-19 किता 02 कुल रकबा 2-02 बीघा भूमि का नाणाराम पिता पन्ना गमेती को, आराजी नम्बर 827 रकबा 0-06, 1124 रकबा 1-10, 1105 रकबा 0-02, 1118 रकबा 0-04 किता 04 कुल रकबा 2-02 बीघा भूमि का कसना पिता टिकमा गमेती को, आराजी नम्बर 1126 रकबा 1-01, 1127 रकबा 1-02 किता 02 कुल रकबा 2-03 बीघा भूमि का कन्ना, हंसा, ईदा पिता जालमा गमेती को, आराजी नम्बर 1115/1 रकबा 1-04 बीघा भूमि का मोहन, रेशा, धन्ना, रेवा पिता वीरमा गमेती को, आराजी नम्बर 1115 मी. रकबा 1-04 बीघा भूमि का कपुरा पिता खाना गमेती को, आराजी नम्बर 124 मी. रकबा 0-08 बीघा भूमि का फागणा पिता मकना गमेती को, आराजी नम्बर 124/1 रकबा 0-09 बीघा भूमि का सोयबा पिता मकना गमेती को, आराजी नम्बर 124/2 रकबा 0-08 बीघा भूमि का मोरिया पिता मकना गमेती को, आराजी नम्बर 124/3 रकबा 0-09 बीघा भूमि का कांतीलाल, भंवरलाल पिता शंकरलाल गमेती को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। एतदनुसार डिक्री पर्चा जारी किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद किया जावें। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 5 .07.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

01/11/16  
(गोपाल लाल मीना)  
उपखण्ड अधिकारी  
कोटडा उदयपुर  
कोटडा (उदयपुर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटड़ा जिला उदयपुर (राज.)  
वाद डिक्री

पीठासीन अधिकारी:- गोपाल लाल मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 18/2010

वादी पक्ष

1. श्री केशरा पिता हकमा गमेती निवासी झेड तहसील कोटड़ा।
2. श्री हंसराज पिता हकमा गमेती निवासी झेड तहसील कोटड़ा।
3. श्री नेतिया पिता हकमा गमेती निवासी झेड तहसील कोटड़ा।
4. श्री मसरू पिता हकमा गमेती निवासी झेड तहसील कोटड़ा।
5. श्री सतीया पिता जोरा गमेती निवासी झेड तहसील कोटड़ा।
6. श्री नारायण पिता पन्ना गमेती निवासी झेड तहसील कोटड़ा।

प्रतिवादी पक्ष

1. श्री कपुरा पिता खाना गमेती निवासी बाखेल तहसील कोटड़ा।
2. श्री मोहन पिता वीरमा गमेती निवासी बाखेल तहसील कोटड़ा।
3. श्री रेशा पिता वीरमा गमेती निवासी बाखेल तहसील कोटड़ा।
4. श्री धन्ना पिता वीरमा गमेती निवासी बाखेल तहसील कोटड़ा।
5. श्री रेवा पिता वीरमा गमेती निवासी बाखेल तहसील कोटड़ा।
6. श्री फागणा पिता मकना गमेती निवासी झेड तहसील कोटड़ा।
7. श्री सोयबा पिता मकना गमेती निवासी झेड तहसील कोटड़ा।
8. श्री मोरिया पिता मकना गमेती निवासी झेड तहसील कोटड़ा।
9. श्री कांतीलाल पिता शंकर गमेती निवासी झेड तहसील कोटड़ा।
10. श्री भंवरलाल पिता शंकर गमेती निवासी झेड तहसील कोटड़ा।
11. श्री कसना पिता टिकमा गमेती निवासी झेड तहसील कोटड़ा।
12. श्री कन्ना पिता जालमा गमेती निवासी झेड तहसील कोटड़ा।
13. श्री हंसना पिता जालमा गमेती निवासी झेड तहसील कोटड़ा।
14. श्री ईदा पिता जालमा गमेती निवासी झेड तहसील कोटड़ा।
15. सचिव, जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लि. उदयपुर।
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कोटड़ा।

वाद बाबत अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 आर.टी.एक्ट

वादी की ओर से- श्री प्रवीण कुमार मेहता

प्रतिवादी की ओर से- एक तरफा

पत्रावली अन्तिम निपटारे के लिये आज दिनांक .07.2016 को प्रस्तुत होने पर वादीगण का वाद बहक वादी डिक्री किया जाता है मौजा बाखेल की आराजी नम्बर 27 रकबा 0-10, 32 रकबा 0-13, 35 रकबा 1-01, 36 रकबा 0-09, 39 रकबा 0-05, 41 रकबा 0-11, 44 रकबा 0-14, 50 रकबा 0-10 किता 08 कुल रकबा 4-13

बीघा भूमि का केशरा, हंसराज, नाथिया, मसरू पिता हकमा गमेती निवासी झेड को, आराजी नम्बर 46 रकबा 0-16, 33 रकबा 0-13, 34 रकबा 0-17 किता 03 कुल रकबा 2-06 बीघा भूमि का सतिया पिता जोरा गमेती निवासी झेड को, आराजी नम्बर 51 रकबा 1-03, 52 रकबा 0-18, 54 रकबा 0-05 किता 03 कुल रकबा 2-06 बीघा भूमि का नाणाराम पिता पन्ना गमेती को, आराजी नम्बर 43 रकबा 0-10, 45 रकबा 0-19, 49 रकबा 0-17 किता 03 कुल रकबा 2-06 बीघा भूमि का कसना पिता टिकमा गमेती को, आराजी नम्बर 42 रकबा 0-19, 53 रकबा 1-07 किता 02 कुल रकबा 2-06 बीघा भूमि का कन्ना, हंसा, ईदा पिता जालमा गमेती निवासी झेड को, आराजी नम्बर 47 रकबा 0-12, 31 रकबा 0-07, 48 रकबा 0-12 किता 03 कुल रकबा 1-11 बीघा भूमि का मोहन, रेशा, धन्ना, रेवा पिता वीरमा गमेती निवासी बाखेल को, आराजी नम्बर 30 रकबा 1-11 बीघा भूमि का कपुरा पिता खाना गमेती निवासी बाखेल को, आराजी नम्बर 29 रकबा 0-08 बीघा भूमि का फागणा पिता मकना गमेती निवासी झेड को, आराजी नम्बर 29/1 रकबा 0-08 बीघा भूमि का सोयबा पिता मकना गमेती को, आराजी नम्बर 37 रकबा 0-08 बीघा भूमि का मोरिया पिता मकना गमेती को, आराजी नम्बर 38 रकबा 0-08 बीघा भूमि का कान्तिलाल, भंवरलाल पिता शंकरलाल गमेती निवासी झेड को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी प्रकार मौजा झेड की आराजी नम्बर 826 रकबा 0-18, 1112, रकबा 0-05, 1113 रकबा 2-05, 1119 रकबा 0-03, 1120 रकबा 0-03, 1121 रकबा 0-08, 1123 रकबा 0-03 किता 7 कुल रकबा 4-05 बीघा भूमि का केशरा, हंसराज, नेतिया, मसरू पिता हकमा गमेती को, आराजी नम्बर 122 रकबा 0-15, 125 रकबा 1-07 किता 02 कुल रकबा 2-02 बीघा भूमि का सतिया पिता जोरा गमेती को, आराजी नम्बर 121 रकबा 1-03, 1125 रकबा 0-19 किता 02 कुल रकबा 2-02 बीघा भूमि का नाणाराम पिता पन्ना गमेती को, आराजी नम्बर 827 रकबा 0-06, 1124 रकबा 1-10, 1105 रकबा 0-02, 1118 रकबा 0-04 किता 04 कुल रकबा 2-02 बीघा भूमि का कसना पिता टिकमा गमेती को, आराजी नम्बर 1126 रकबा 1-01, 1127 रकबा 1-02 किता 02 कुल रकबा 2-03 बीघा भूमि का कन्ना, हंसा, ईदा पिता जालमा गमेती को, आराजी नम्बर 1115/1 रकबा 1-04 बीघा भूमि का मोहन, रेशा, धन्ना, रेवा पिता वीरमा गमेती को, आराजी नम्बर 1115 मी. रकबा 1-04 बीघा भूमि का कपुरा पिता खाना गमेती को, आराजी नम्बर 124 मी. रकबा 0-08 बीघा भूमि का फागणा पिता मकना गमेती को, आराजी नम्बर 124/1 रकबा 0-09 बीघा भूमि का सोयबा पिता मकना गमेती को, आराजी नम्बर 124/2 रकबा 0-08 बीघा भूमि का मोरिया पिता मकना गमेती को, आराजी नम्बर 124/3 रकबा 0-09 बीघा भूमि का कांतीलाल, भंवरलाल पिता शंकरलाल गमेती को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

(गोपील लाल मीना)

समूह अधिकारी  
कोटडा उदयपुर  
कोटडा (उदयपुर)